न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09 / 2023

आवास फाइनेंन्सर्स लि. (फोरमली ए.यू. हाउसिंग फाईनेन्स लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री जौली कुमार शुक्ला पुत्र श्री अश्वनी कुमार शुक्ला पुत्र श्री अश्वनी कुमार शुक्ला रजि. पता 201 –202 दूसरी मंजिल साउथ एण्ड स्क्वॉयर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर ।

(प्रार्थी वितीय संस्था)

बनाम

1. श्री गोपाल लाल पुत्र बेणाराम निवासी प्लाट न. 81, सारनो की ढाणी, गोपालपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (ऋणी व बन्धककर्ता) दूसरा पता– गोपालपुरा, उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, दूदू

2. सम्पति देवी पत्नी श्री गोपाललाल निवासी प्लाट न. 81, सारनो की ढाणी, गोपालपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी)

(अप्रार्थीगण)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

निर्णय **दिनांक :– 22.5.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण ऋणी को लॉन अकाउन्ट नम्बर LNJOBO3721-220190470 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल लाल ने प्रार्थी से कुल 6,70,000/– रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण की

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय भूमि ग्राम गोपालपुरा, उगरियावास, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू स्थित प्लाट क्षेत्रफल 233.33 वर्गफीट पर प्रार्थी के यहां मोरगेज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किये जाने से खाते को दिनांक 04.01.2023 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.1.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस को प्रार्थी ने दो दैनिक अखबारो में दिनांक 10.01.2023 को प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत पार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

पत्रावली नवगठित जिला दूदू के क्षैत्राधिकार की होने से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां से इस न्यायालय में प्राप्त होने से पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपार्थीगण को 6,70,000/— रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.01.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नही किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गोपाललाल पुत्र बैणाराम (ऋणी) व सम्पति देवी पत्नी गोपाल लाल (सह ऋणी) की बधंक सम्पति आवासीय भूमि ग्राम गोपालपुरा, उगरियावास, मौजमाबाद दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू स्थित प्लाट क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को सरे इजलास सुनाया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
दूदू

जिला कलक्टर
दूदू (राज०)